B-4

2.1 (1)
Encl. (1)

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

उत्तरा खण्ड पब्लिक जूनियर हाई स्कूल,
नौएडा ई-1 सैक्टर 56 (गाजियाबाद)

पत्रांक सं० शि० स०/ 349-53 /93-94 दिनांक 28-4-94

विषय :— अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) "ब" श्रेणी की मान्यता के विषय में।

महोदय/महोदया,

शासनादेश संख्या 217/ 15—6—92—18 एस. (7)/89 दिनांक 11—5—92 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक "ब" श्रेणी की मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होंगे।

प्रधानाध्यापक	एक
सहायक अध्यापक	चार
लिपिक	एक
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक

उक्त जनशक्ति में शिक्षा / प्रसार / कार्यानुभव अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। शासकीय विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मंडल, मेरठ

पृ० सं० शि० स०/ /93—94 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
2—सचिव उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3—समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ मण्डल, ~~मेरठ~~। गाजियाबाद
4—लेखाधिकारी, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ....
5—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ....
6—उप विद्यालय निरीक्षक / शिक्षा अधीक्षक / अधीक्षिका जनपद। गाजियाबाद
7—कार्यालय गार्ड फाईल।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
प्रथम मण्डल, मेरठ।

Attested for
Manager
Uttarakhand Public School
E-1 Sector-56, NOIDA (U.P.)

Principal
Uttarakhand Public School
E-1, Sector-56, Noida U.P.

Manager
Uttarakhand Public School

पत्रांक सा0/शि0/ / 354-1464 / 97-98 दिनांक 20-3-98

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

सेवा में,

प्रबन्धक,
उत्तराखंड पब्लिक स्कूल
सेक्टर-56 नोएडा
जनपद गौतमबुद्धनगर ।

विषय: प्राईमरी प्रस्तर की मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय/महोदया,

उक्त विषयक, आपके आवेदन-पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक-----18-3-98--- के प्रस्ताव संख्या--22 ह-- के निर्णय के अनुसार कतिपय प्रतिबन्धों के साथ निम्न प्रकार मान्यता प्रदान की जाती है :-

(क) विद्यालयों को जौलाई से प्राईमरी प्रस्तर की कक्षा 1 से 5 तक की स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है ।

(ख) विद्यालय को प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता जौलाई ------ से जून------ तक प्रदान की जाती है ।

मान्यता के नवीनीकरण हेतु 30 जून तक प्रतिबन्धों की पूर्ति के उपरान्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें ।

(ग) पूर्व प्रदत्त प्राईमरी स्तर की अस्थायी मान्यता शिक्षा उन्नयन/विद्यालय हित एवम् छात्र/छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जनहित में जौलाई-1997 से जून-1998 तक के लिये मान्यता में समय वृद्धि प्रदान की जाती है ।

कृपया चिन्हित प्रतिबन्धों की पूर्ति कर अगले सत्र के लिये स्थायी मान्यता हेतु पूर्ण शर्तों की पूर्ति कर 30 जून 98--- तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ।

प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्धीकरण को मिनिमम वेजिज ऐक्ट के अन्तर्गत वेतन का भुगतान करना होगा ।

(2) प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाये तथा उन्हें परिषदीय अध्यापकों के समान वेतनमान दिया जाये ।

(3) विद्यालय की प्रबन्ध समिति का अनुमोदन कराना अनिवार्य है ।

(4) विद्यालय में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था हो किसी भी दशा में कोई अस्वीकृत अमान्य पुस्तकें न पढ़ायी जाये ।

(5) छात्रों से विभाग द्वारा स्वीकृत निर्धारित शुल्क लिया जाये ।

(6) शिक्षा विभाग के कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।

Principal
Uttarakhand Public School
E-1, Sector-56, Noida U.P.

Manager
Uttarakhand Public School

Attested.
Manager

----2

{7} पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत समिति के पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाये ।

{8} अभिष्ठ धनराशि सुरक्षित कोष में विनियोजित कर उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम मे प्रतिश्रुत किया जाये ।

{9} विद्यालय के नाम निजी भवन हो जिसका पंजीकरण विद्यालय विशेष के नाम से ही इस भवन में निर्धारित माप के हवादार व प्रकाशयुक्त कक्ष निर्मित हो शिक्षित कक्षों के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक व भण्डार कक्ष की व्यवस्था हो ।

{10} आवश्यकतानुसार विज्ञान/क्रीड़ा/शिक्षण एवं समाज उपयोगी सामग्री व पुस्तकों की व्यवस्था की जाये ।

{11} विभागीय आदेशानुसार कम से कम दो हजार वर्गमीटर का निजी क्रीड़ा स्थल हो जो विद्यालय के नाम पंजीकृत हो व छात्रों के खेलने के लिये सुलभ हो ।

{12} किसी भी अध्यापक को बिना विभागीय अनुमोदन के नियुक्त न किया जाये और न निकाला जाये ।

{13} विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता प्रत्याहरण करने का अधिकार हस्ताक्षरकर्ता को होगा ।

{14} विद्यालय में सभी धर्मों जाति के छात्र/छात्राओं का प्रवेश किया जाना अनिवार्य है ।

{15} विद्यालय की प्रगति स 30 जून तक अवगत करायें ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 20-3-98
गौतमबुद्धनगर ।

पृ०स०/मान्यता/ 97-98 दिनाक:

प्रतिलिपि निम्नाकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

{1} समाज कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर ।
{2} सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी------------------------------गौतमबुद्धनगर ।

Attested

Principal
Uttarakhand Public School
E-1, Sector-56, Noida U.P.

Manager
Uttarakhand Public School

Manager
Uttarakhand Public School
E-1, Sector-56, NOIDA (U.P.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर ।